राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांकः– प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट जयपुर, दिनांकः 04.10.2013

परिपत्र

समस्त अति0 मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

विषयः–राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु प्रवेश के समय नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों से धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबंध (Undertaking) बाबत।

राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती हेतु प्रवेश के समय नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों से धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने के संबंध में वचनबंधता (Undertaking) प्राप्त की जानी है।

अतः इस हेतु समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को व्यादिष्ट किया जाता है कि राज्य में होने वाली विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति से पूर्व संलग्न प्रपत्र में वचनबंधता (Undertaking) प्राप्त करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(मुकेश शर्मा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर/जोधपुर।

7/10/13

(दिनेश कुमार यादव)
संयुक्त शासन सचिव

कृ.प.उ.

77/2013

28/modiji/oth.file/note-order/2013

-: वचनबंध प्रपत्र :-

मैं .... पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती ....
निवासी.......................... ....

वचनबद्ध हूं कि मैं धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करता हूँ/करती हूँ।

हस्ताक्षर
वचनबद्धकर्ता

29/modiji/oth.file/note-order/2013